प्रेस नोट/सराहनीय कार्य साईबर सेल सिद्धार्थनगर दिनांक 28-01-2023

साइबर सेल सिद्धार्थनगर द्वारा शिकायतकर्ता के खाते से फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹ 50,000 को कराया वापस |

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल सुबाष यादव व टीम साइबर सेल द्वारा मो0 रमजान अली ग्राम काजी रूधौली थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए मो0 रमजान अली के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये 50,000/- वापस कराये गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता मो0 रमजान अली ग्राम काजी रूधौली थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के खाते अज्ञात कारणो से धनराशि **₹** 50,000/- कटने का मैसेज प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को दिया साइबर सेल सिद्धार्थनगर टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 27/02/2023 मो0 रमजान अली के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये 50,000/- ₹ वापस कराया गया | साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए मो0 रमजान अली द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी |

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीमः-

1- निरीक्षक सुबाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
2- उ0नि0 हरीओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
3- मुख्य आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
4- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
5- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
6- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
7- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनाँक 28-02-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सेवानिवृत्त हुए 03 पुलिसकर्मियों को अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभाकक्ष में उज्ज्वल कामनाओं के साथ दी गयी ससम्मान विदाई।

आज दिनांक 28-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर से 03 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण अपनी सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से कार्य करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हुए। इस अवसर पर **"पुलिस लाइन्स सभागार"** में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारीगण हेतु विदाई समारोह आयोजित किया गया। अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभाकक्ष में उज्ज्वल कामनाओं के साथ दी गयी ससम्मान विदाई। इस अवसर पर सर्वप्रथम सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों से

उनका परिचय प्राप्त करते हुये सेवाकाल के अनुभवों के बारे में वार्ता की गयी। विदाई समारोह में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को माला पहनाकर व उपहार, धार्मिक ग्रंथ आदि भेंटकर सम्मानित किया गया। उनके द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना गया, साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बेझिझक सम्पर्क करने की बात कही गयी। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को उनके सुखद, आनन्दपूर्ण व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुये सम्मानपूर्वक विदाई की गयी। विदाई समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक लाइन्स, पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक/रिज़र्व पुलिस लाइन्स में नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे |

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का विवरण-

01- उ0नि0 श्री सुग्रीम नियुक्ति स्थान थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर |

02- उ0नि0 श्री राम ध्यान यादव नियुक्ति स्थान थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर |

03- उ0नि0 श्री राम उजागिर नियुक्ति स्थान थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर |

प्रेस नोट दिनांक 28.02.2023 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

क्षेत्राधिकारी सदर के अध्यक्षता में थाना मोहाना के चौकी ककरहवा पर आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अखिलेश वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के अध्यक्षता में आज दिनांक 28.02.2023 को चौकी ककरहवा पर आगामी त्यौहार होली, शब ए बारात के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों सभी धर्मों के धर्मगुरुओं व होलिका के आयोजकों की मीटिंग की गई उक्त मीटिंग में शासन व उच्च अधिकारीगण से प्राप्त आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया तथा त्यौहार को सकुशल मिलजुल कर संपन्न कराने हेतु अपील की गई व किसी प्रकार की समस्या पर तत्काल सूचित करने हेतु हिदायत की गई। थानाक्षेत्र के डीजे धारको को किसी भी प्रकार की अश्लील व भड़काऊ गाने न बजाने तथा मानक के अनुसार ध्वनि तीव्रता रखने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के पश्चात पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम द्वारा ककरहवा कस्बा में ज्वांइट पेट्रोलिंग किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर, थानाध्यक्ष मोहाना, थाना मोहाना व एसएसबी के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 28.02.2023 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

आगामी त्यौहार होली, शब ए बारात के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थानाक्षेत्र डुमरियागंज में पैदल गश्त कर आम जनमानस को कराया गया सुरक्षा का एहसास।

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 28.02.2023 को आगामी त्यौहार होली व शब-ए बारात के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु-थानाक्षेत्र डुमरियागंज में राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज व थाना डुमरियागंज पुलिसबल के साथ पैदलगश्त किया ग-या। जिसमें

भारतभारी, मोतीगंज व अन्य भीड़भाड़ वाले इलाको में भारी पुलिसबल के साथ पैदल गश्त करते हुए पुलिस - अधीक्षकद्वारा व्यापारियों, संभ्रांत व्यक्तियों व आमजन से संवाद स्थापित कर सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा आमजन से वार्ता कर आगामी त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की गयी । इस दौरान क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी व थाना डुमरियागंज के पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

प्रेस नोट- दिनांक 28.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद सिद्धार्थनगर में वामा सारथी द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याणार्थ हेतु जिला अस्पताल के चिकित्सकगण की टीम द्वारा थायराइड विकार और मधुमेह मेलेटस पर जानकारी दी गयी एवं चिकित्सकीय परीक्षण किया गया।

आज दिनांक 28/02/2023 को अध्यक्षा वामा सारथी, उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याणार्थ हेतु आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों चिकित्सा गतिविधि जैसे- शुरुआती थायराइड विकार और मधुमेह मेलेटस पर व्याख्यान ("Thyroid Disorders & Diabetes Mellitus (Lecture for Women "Managmenent of thyroid disorder and diabetes in Women: A practical guidance." A Nutrition leaflet/diet chart is to be prepared and distributed to all participants. Random blood sugar testing may be conducted for participants who wish to be tested.) ") के अनुक्रम में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश के क्रम में आयोजित चिकित्सा शिविर में जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के डा0 गौरव दूबे, सहायक आचार्य जनरल मेडिसिन, श्री संजीत गुप्ता, एल0टी0 जिला संयुक्त चिकित्सालय सिद्धार्थनगर सम्बद्ध माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के लोगो को उपरोक्त विषय पर जानकारी देते हुए चिकित्सकीय परीक्षण किया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 28.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के आरोपियों को 10 वर्ष के साधारण कारावास व ₹16,000-16,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 28-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना ढ़ेबरुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1184/2019 धारा 323,304,504,506 भा0द0वि0, सत्र परीक्षण सं. 151/2015 से सम्बन्धित अभियुक्तगण तुलसीराम पुत्र बलिकरन,पप्पू, अर्जुन पुत्रगण तुलसीराम, घरभरनी पत्नी तुलसीराम निवासीगण तौलिहवा टोला कचरिहवा थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश कामेश शुक्ल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के साधारण कारावास व ₹16,000-16,000/- के अर्थदण्ड से

दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में राजेश कुमार त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोहम्मद नसीम थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 28.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास व ₹ 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 28-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना ढ़ेबरुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1508/2017 धारा 498ए,304बी,201 भा0द0वि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सत्र परीक्षण सं. 98/2017 से सम्बन्धित अभियुक्तगण रामऔतार पुत्र रामतीरथ,रामतीरथ पुत्र रामसमुझ, श्रीमती चानमती पत्नी रामतीरथ निवासीगण सेवरा थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश संजय कुमार मलिक, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर द्वारा आजीवन कारावास व ₹ 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में चन्द्रप्रकाश पाण्डेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोहम्मद नसीम का सराहनीय योगदान रहा।